मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 24/05/2023

क्र. IPI/5/0029/2023/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा मेसर्स भगवती एग्रोकेम प्रा.लि. द्वारा रूपये 255 करोड के स्थाई पूंजी निवेश से मोहासा-बाबई जिला नर्मदापुरम (पूर्व नाम होशंगाबाद) में राईस मिल, फ्लोर मिल, राईस ब्रान ऑयल निर्माण हेतु परियोजना स्थापना संबंधी प्रस्ताव (DIPIP 2210180001) पर निम्नानुसार सुविधायें दिये जाने का निर्णय लिया गया-

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता-** उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता परियोजना अन्तर्गत यंत्र-संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर खाद्य गणक को सम्मिलित करते हुए 40 प्रतिशत की स्थिर दर से 7 वर्ष की अवधि में शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये। परियोजना को योजना अन्तर्गत प्रावधानित निर्यात एवं रोजगार गणक का लाभ पात्रतानुसार शर्तों के अध्याधीन पृथक से प्राप्त होगा।

2. **विद्युत टैरिफ में रियायत-** परियोजना अंतर्गत स्थापित नवीन विद्युत कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्षों हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रू. 1/- प्रति यूनिट की दर से छूट प्रदान की जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।

3. **विद्युत शुल्क से छूट-** परियोजना अंतर्गत स्थापित नवीन विद्युत कनेक्शन पर उत्पादन प्रांरभ दिनांक से 10 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की जाये।

4. **भूमि आवंटन-** परियोजना स्थापना हेतु औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई में 60 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इकाई की मांग अनुसार अतिरिक्त 20 एकड़ भूमि का आवंटन प्रचलित भू-आवंटन नियम के प्रावधानों के अनुरूप किया जाये।

5. **मण्डी शुल्क से छूट-** परियोजना को किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 04/04/2022 अनुसार प्रदान की जाये।

6. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से प्रतिबद्ध निवेश के साथ 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।

7. परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।

8. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(मनीष सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर.......

पृ. क्र. IPI/5/0029/2023/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 24/05/2023

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग नर्मदापुरम (पूर्व नाम होशंगाबाद) ।
4. कलेक्टर, जिला- नर्मदापुरम (पूर्व नाम होशंगाबाद)।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, सीईओ, मेसर्स भगवती एग्रोकेम प्रा.लि. 18-1/2, Old Anaj Mandi, Firozpur Cantt. Punjab-152001।

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग